सर्वोच्च प्राथमिकता।

संख्या–1593 / सैंतीस–2–2022

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषय–प्रदेश में गोवंश में **Lumpy Skin Disease (LSD)** बीमारी की मिशन मोड में रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, हरियाणा आदि से प्रदेश के पश्चिमी 15 जनपदों में Lumpy Skin Disease (LSD) का गोवंश में संक्रमण हुआ है। इस रोग से अभी तक प्रदेश के 563 ग्रामों में 5823 पशु प्रभावित हुये हैं। यह एक विषाणुजनित रोग है। इसका प्रसार प्रभावित पशुओं से वेक्टर ,आदि के माध्यम से अन्य पशुओं में होता है। LSD संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा उपचार हेतु भारत सरकार के पशुपालन एवं दुग्धशाला विभाग द्वारा निम्नवत् गाइडलाइन जारी की गयी है:–

1.1 पशुपालन एवं दुग्धशाला विभाग, भारत सरकार द्वारा लम्पी स्किन डिजीज **(LSD)** बीमारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पत्र संख्या–K-11053/69/2019-LH द्वारा विस्तृत Advisory जारी की गई है। (संलग्नक–1)।

1.2 इसी के साथ भारत सरकार द्वारा पशुओं के उपचार एवं चिकित्सा हेतु दिशा–निर्देश भी जारी किये गये हैं (संलग्नक–2)।

उपर्युक्त के क्रम में निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–89 / इपीडी0 / एल0एस0डी0 / 2022–23 दिनांक–02.08.2022 द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी है।

2– वर्तमान में प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा एवं बरेली मण्डल के 15 जनपदों के लम्पी स्किन डिजीज (LSD) से गोवंश के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। (संलग्नक–3)। इस संक्रामक रोग के प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है, जिस पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण को नियंत्रित करने, निवारक उपाय करने, उपचार एवं टीकाकरण तथा प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता हेतु निम्न प्रस्तरों के अनुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

3– **संक्रमण को नियंत्रित किया जाना (Containment and Control)–**

3.1– सीमावर्ती राज्य यथा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश से उ0प्र0 के रास्ते में पड़ने वाली समस्त बार्डर चेकपोस्ट व पुलों पर

निगरानी सक्रिय किये जाने के साथ–साथ गोवंश/महिषवंश के प्रदेश में प्रवेश को पूर्णयता प्रतिबन्धित किया जाय ।

3.2– प्रदेश के समस्त जनपदों के गोवंश/महिषवंश पशुओं के अन्य जनपदों में परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाय, विशेष कर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहें पशुओं को हाईवे, चेकपोस्ट/पुलों आदि पर निगरानी करते हुये पूर्ण रूप से रोका जाय।

3.3– LSD के संक्रमण से पशुओं को बचाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में समय–समय पर आयोजित होने वाले पशुमेलों/पशुहाट/पशुपैठ विशेष कर जहां गोवंश/महिषवंश का क्रय–विक्रय होता है, पर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

3.4– प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक गोआश्रय स्थलों में कोई नया पशु संरक्षित न किया जाय। यह आदेश नगर निकाय, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, निजी अथवा स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित गोआश्रय स्थल/गोशाला पर लागू होगा।

3.5– यदि किसी पशुपालक के निजी स्वामित्व के इक्का–दुक्का पशु रोगग्रस्त है तो उन्हें वहीं कुछ दूर पर आइसोलेट किया जाय एवं उपचार के साथ–साथ सेनेटाईजेशन व अन्य पशुओं के लिए निरोधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। उक्त परिवार के सदस्य आस–पास के अन्य स्वस्थ पशुओं के निकट न जायें।

3.6– यदि किसी गो आश्रय स्थल अथवा गोशाला में इक्का–दुक्का केस मिलें, उन्हें वहीं पृथक से कुछ दूरी पर शेड बनाकर संरक्षित किया जाय तथा प्रोपर सेनेटाईजेशन कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वस्थ एवं रोगी पशुओं के गोसवकों की पृथक टीमें बनाकर सेवा–सुश्रूषा की जाय तथा डॉक्टर एवं पैरावेट मास्क, सेनेटाईजर तथा हैण्ड ग्लब्स का उपयोग करते हुए उपचार करें। यदि किसी गो आश्रय स्थल एवं गोशाला में अधिक संख्या में पशु प्रभावित हैं तो ऐसे पशुओं को निकटवर्ती डेडीकेटेड गो चिकित्सा स्थल चिन्हित करते हुए वहां शिफ्ट किया जाए। जिले के ऐसे चुनिन्दा चिन्हित डेडीकेटेड गो चिकिंत्सा स्थलों के लिए जिलाधिकारी स्तर से प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी को तैनात किया जाय। अन्य राज्यों में इसके अच्छे परिणाम आये हैं।

3.7– जनपद में सेक्टर एवं जोनल व्यवस्था लागू की जाय तथा जिलाधिकारी द्वारा सेक्टर एवं जोनल अधिकारी नियुक्त करते हुये निरंतर अनुश्रवण किया जाय।

3.8– पशुपालकों/कृषकों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं पैरावेट्स हेतु सरल भाषा में गाइड लाइन जारी की गई है (संलग्नक–4), जिसका वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जाय इसी में ''क्या करें क्या न करें'' भी संलग्न किया गया है, जिसे स्थानीय स्थल पर आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है।

3.9– निजी गोशालाओं के प्रबन्धकों, उनमें कार्यरत पशु चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ जिलाधिकारी बैठक आहूत कर उन्हें भी गाइडलाइन का पालन करने हेतु निदेशित करें तथा ''क्या करें क्या न करें'' के बारे में विधिवत अवगत कराया जाय। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि समस्त गोशालाओं एवं

समस्त गोआश्रय स्थलों में बाहरी अगन्तुकों (VISITORS) का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित हो।

3.10– जिन ग्रामों एवं क्षेत्रों में रोग का प्रभाव/प्रकोप हो, वहां से गोसेवकों को गोआश्रय स्थलों पर काम पर न बुलाया जाए।

3.11– प्रभावित एवं समीपवर्ती जिलों के अन्तर्गत समस्त बडी गोशालाओं/गो संरक्षण केन्द्रों एवं ऐसे रिंग क्षेत्रों जहाँ पर अभी इस रोग का प्रभाव नहीं है, में टीकाकरण समेत समस्त एहतियाती उपाय किये जाय।

3.12– यह एक विषाणु जनित रोग है जो कतिपय मक्खी, मच्छर आदि से फैलता है, अतः कीटनाशक का छिडकाव, फॉगिंग, साफ–सफाई, स्वच्छता युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाय। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग द्वारा सम्पादित किया जाय इस संबंध में आवश्यक रसायन यथा SODIUM HYPOCHLORITE आदि उपकरण तथा बजट की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाय।

4– उपचार एवं पशु प्रबंधन–

4.1– रोग की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रोगी पशु की चिकित्सा व्यवस्था की जाय तथा पशु के स्वस्थ होने तक नियमित रूप से उसकी देखभाल की जाय।

4.2– यदि DEDICATED गोआश्रय स्थल बनाये जाते है तो वहां उपचार के साथ–साथ पौष्टिक सॉफ्ट आहार, सैनेटाइजेशन एवं वेस्ट मैनेजमेन्ट सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त पशुचिकित्सक तथा पैरावेट की DEDICATED टीम बनाकर एवं Stict accesss control के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार ग्लब्स तथा अन्य निरोधक उपायों की व्यवस्था की जाय।

4.3– यह सुनिश्चित किया जाय कि उपचार हेतु समस्त आवश्यक औषधियां, उपकरण तथा अन्य SUPPLEMENTRY NUTRITION व वाहन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहें।

4.4– वेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित व्यवस्था की जाय। प्रभावित पशुओं के गोबर एवं अन्य उत्सर्जन पर चूना/DISINFECTANT का छिड़काव कराया जाय।

4.5– उपचार के प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन किया जाय तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुसार ORAL औषधियां और घाव पर टॉपिकल दवाई आदि का प्रयोग किया जाय। INJECTABLE औषधियां गम्भीर रोग में भारत सरकार की ADVISORY के अनुसार चिकित्सकीय परामर्श के उपरान्त प्रयोग किया जाय।

4.6– यदि अपरिहार्य कारणों से किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो प्रोटोकॉल के अनुसार पशु शव का परिवहन सम्मानजनक तरीके से ढक कर निकटवर्ती चिन्हित स्थल पर DEEP BURIAL सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाय।

5– टीकाकरण एवं रोग निरोधक उपाय–

5.1– लम्पी स्किन डिजीज के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए आगरा, अलीगढ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल अति सम्वेदनशील की श्रेणी में है। प्रथम चरण में उक्त मण्डलों में लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना उचित होगा।

5.2– कानपुर, लखनऊ एवं झांसी मण्डल सम्वेदनशील की श्रेणी में हैं। द्वितीय चरण में उक्त मण्डलों में गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाये जाने के पश्चात प्रदेश के शेष मण्डलों में वैक्सीन लगाया जाना उचित होगा।

5.3– गोटपॉक्स वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम कोविड टीकाकरण अभियान की भांति मिशन मोड में चलाया जाये। टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ी गोशाला, निराश्रित गोआश्रय स्थल को प्राथमिकता देते हुये इसी के साथ प्रभावित क्षेत्रों का रिंग टीकाकरण कराया जाय।

5.4– जनपद से ग्राम स्तर तक टीकाकरण हेतु समुचित रूप से कोल्डचेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5.5– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र के आदेश दिनांक 22.08.2022 द्वारा गोटपॉक्स वैक्सीन निर्माता कम्पनियों द्वारा निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को विपणन पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसका कियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

5.6– टीकाकरण का जनपदों में माइक्रो प्लान बनाया जाय तथा टीके की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत PRIORITY एवं HIGH RISK AREAS में ADVISORY के अनुसार फोकस किया जाय।

5.7– टीकाकरण करते समय सेनेटाइजेशन के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाय।

5.8– टीकाकरण हेतु गोटपॉक्स वैक्सीन की उपलब्धता पशुपालन निदेशालय स्तर से सुनिश्चित की जा रही है, जिसके संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहें है।

5.9– अन्य एहितियाती उपायों में IVERMECTIN का प्रोटोकॉल के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

6– **प्रशिक्षण एवं जागरूकता–**

6.1– रोग के प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए यथा वाल पेंटिग, पम्फलेट वितरण, होड़िंग आदि लगवाई जाए।

6.2– दैनिक समाचार पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों, सोशल मीडिया आदि से भी पशुपालकों एवं संस्थाओं से अपील की जा सकती है तथा उन्हें मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

6.3– टी0ओ0टी0 (Traning of Trainers) के माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित करते हुये पशुचिकित्सकों, पैरावेटस् तथा गोसेवकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाय। प्रशिक्षण में रोगी पशुओं के उपचार एवं आहार के साथ–साथ निरोधात्मक कार्यवाही एवं सेनेटाइजेशन आदि से अवगत कराया जाय। इस संबंध में पशुपालन निदेशालय द्वारा माड्यूल बनाये जा रहें है, जिसमें सरल भाषा में जानकारी दी गयी है।(संलग्नक–5)

6.4– सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में कार्य कर रहें गो–पालकों/गोशाला संचालकों का भी प्रशिक्षण कराया जाय।

6.5– फिज़िकल तथा वर्चुअल दोनो प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार कराया जाय।

7– **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–**

7.1– प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा पंचायतीराज विभाग के शासनादेश संख्या–1347/33–3–2022, दिनांक 03.08.2022 के अनुसार गोआश्रय स्थल के संचालन हेतु आस–पास के ग्राम पंचायतों में उपलब्ध एस0एफ0सी0 फंड की पूलिंग विषयक आदेश तत्काल निर्गत किये जाए।

7.2– जिलाधिकारी अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पशुचिकित्साधिकरी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक आहूत कर LSD से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों से अवगत कराते हुये टीम बनाकर मिशन मोड में उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

7.3– यह रोग पशुओं से मानव में संक्रमित नहीं होता है। अतः किसी भी प्रकार की अफवाहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय तथा जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों से निरन्तर संवाद बनाया जाय।

7.4– पशुपालन निदेशालय, लखनऊ में कन्ट्रोल रूम 24X7 संचालित है। कन्ट्रोल रूम का नम्बर 0522–2741191 एवं टोल फ्री नम्बर 18001805141 तथा मोबाइल नंम्बर–7880776657 है। प्रभावित एवं समीपवर्ती जनपदों में भी 24X7 कन्टोल रूम स्थापित कर सक्रिय किया जाय।

7.5– निदेशक, प्रशासन एवं विकास तथा निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र द्वारा इस रोग से बचाव एवं उपचार हेतु की जा रही कार्यवाही का सघन पर्यवेक्षण करते हुये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

7.6– जनपदीय सूचना निर्धारित प्रारूप पर LSD से प्रभावित एवं समीपवर्ती जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दैनिक रूप से तथा अन्य जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जाय एवं Clinical Surveillance की सूचना भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ई–मेल–dirdcf.ad-up@gov.in पर उपलब्ध कराई जाय।

7.7– निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र द्वारा जनपदों से प्रतिदिन सूचना प्राप्त कर रोग निदान एवं नियंत्रण की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं प्रभावित एवं समीपवर्ती जनपदों की दैनिक सूचना तथा अन्य जनपदों की साप्ताहिक सूचना प्रत्येक सोमवार को शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.8— LSD के प्रबंधन से जुड़े किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अपरिहार्य स्थिति के अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत न किया जाय तथा न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाय।

प्रस्तर–3 लगायत–7 में वर्णित बिन्दु मात्र निदर्शनात्मक है, जिनका विस्तृत विवरण संलग्नक में भारत सरकार की एडवाइज़री/मार्गनिर्देशिका में उल्लिखित है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1593(1)/सैंतीस–2–2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

ANNEXURE-I

K-11053/69/2019-LH

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING

GUIDELINES FOR PREVENTION OF LSD (LUMPY SKIN DISEASE)

1. **Movement control of animals:** In order to minimize the economic impact of the outbreaks and to control LSD, the movement of animals to and from the infected area should be completely banned. This will check the transmission/spread of LSD

2. **Restriction to be enforced with affected animals and the persons dealing with infected animals:** Movement of people to and from the affected area should be restricted. The animal handlers and those attending to the affected animals should be advised to keep away from healthy animals. It is therefore, of utmost importance to ensure these safety measures

3. **Vaccination:** The infected villages be identified so that precautionary plans will be carried out in a specific area and ring vaccination will be carried out in villages upto 5 km around the affected village.
   - Cattle and buffaloes should be vaccinated with available Goat pox vaccine (cattle and buffalo at the age of 4 months and above through S/C route) with $10^{3.5}$ $TCID_{50}$ of GTPV vaccine (Uttarkashi Strain). However, The dose of $10^{3.0}$ $TCID_{50}$ (same dose of vaccine for goat against goat pox) can be used for prophylactic vaccination/ring vaccination in cattle and buffalo.
   - Affected animals should not be vaccinated
   - Preventive vaccination should also be undertaken in high risk areas like border area of affected district and state and animals should be identified and documented
   - The staff and vaccinators should be trained for vaccination drive including storage and preparation of vaccine, dosing and injection and identification of animals

4. **Bio-security measures:**

   - Isolation of sick animal from the healthy animals
   - Clinical surveillance against LSD in affected districts and around surrounding villages should be intensified
   - The buffaloes should be kept separately till complete recovery of the affected animals, if reared together

- Disinfection of premises at regular intervals
- Ecto-parasiticide should also be applied to healthy animals on the infected and on surrounding farms
- The persons dealing with the infected animal should wear gloves and face mask
- Care should be taken to report any unusual sickness of other **animals to nearest veterinary Hospital/Dispensary**
- Hygiene practices should be followed at the animal farm and by the people in area where animals are infected
- Farms with affected animals should be visited regularly by the field veterinarians until all the cases are recovered. The veterinary staff should take all precautionary hygiene measures to avoid further spread of disease to other farms/households
- In case of mortality, carcass should be disposed of by deep burial method observing all hygienic measures
- Cattle markets located within 10 km radius of the epicentre of infection should be closed
- Trade of live cattle, participation in fairs, shows should be banned immediately upon confirmation of the disease in the affected areas

5. **Vector control:** Control of vector population in the premises and the **animal** body should be carried out using the insecticide, repellents and other chemical agents.

6. **Disinfection and cleaning measures:** Affected Premises, vehicles plying through the affected animal holdings should be carried out with appropriate chemicals / disinfectants [Ether (20%), chloroform, formalin (1%), phenol (2% /15 minutes), sodium hypochlorite (2-3%), iodine compounds (1:33 dilution) and quaternary ammonium compounds (0.5%)].

7. **Guidelines for Sample Collection and Dispatch for Diagnosis and surveillance of Lumpy Skin Disease (LSD):** Format, guidelines including general and transport guidelines may be seen at http://www.nihsad.nic.in/pdf/LSD_%20REVISED%20Guidelines%20for%20Sample%20Collection%20and%20Dispatch%20for%20Diagnosis%20of%20Lumpy%20Skin%20Disease.pdf

8. **Awareness programme:** Mass awareness campaign to be taken up to make the public aware of the disease and report to the veterinary authority immediately when suspected cases are detected. This will help in prevention and control of LSD.

9. Related suggestions:

a) Strict implementation of advisories
b) Strict implementation of bio-security measures
c) Movement restriction and isolation of affected animals
d) Movement control of vehicle, animals from affected area to free area
e) Disinfection measures to be followed strictly in liaison with Municipal bodies and administration including regular fogging and lime spray in the infected and surrounding area
f) Stray animals to be monitored regularly and the affected animals should be isolated under veterinary care with the help of municipal and administrative authorities
g) Waste disposal including feed, fodder and dead animal to be followed as per protocol and scientific method with marking and displayed safety guidelines
h) Animal movement from affected area to be monitored to prevent spread of the infection
i) Animal trade and fare should not be allowed in the affected area
j) Vehicle passing through the infected area should be monitored and disinfected.
k) Insecticides spray and fogging to be undertaken in the animal sheds, common grazing area, veterinary hospital and dispensaries, animal gathering spots and animal movement tracks to control vectors like mosquito, flies, ticks, fleas etc.
l) Surveillance of vector should also be undertaken by sending the samples to ICAR-NIHSAD to understand disease epidemiology and accordingly making control strategies.
m) Monitoring of pastures, grazing area, water bodies, feed and fodder to prevent contamination by infected animal
n) Infected feed, fodder and bedding material should not be used and disposed scientifically
o) Infected animals should be kept separately in isolation with close monitoring till recovered and should not be kept in same animal shed. The milk of infected animals should not be used and mixed in the milk of healthy animals
p) Unnecessary post-mortem and sampling of infected animals should be avoided so that disease may not spread during such operations. The staff should wear all preventive gears during PM and sampling
q) The sampling should be done as per the prescribed SOP and protocol with due care at all times and proper and safe transport shall be ensured. Sampling should only be done by expert personnel by the veterinarian or under veterinary supervision

r) Except in unavoidable circumstances, the treatment of infected animal should be done through oral medication and topical application to avoid spreading of disease through treatment procedures and contamination of treatment accessories and personnel during treatment.

s) The veterinary hospitals and dispensaries should have proper supply of medicines, supplements, disinfectants, treatment accessories, foggers, awareness material PPE kits and other related items at all times

t) Control room and 24x7 toll free number to be activated to address the issues of farmers immediately and also awareness.

u) Role of MVUs should be increased in awareness, treatment and vaccination drive and the MVU operating in infected area should not enter the free area and if required proper disinfection protocol should be followed

v) Door to door awareness and vaccination drive should be undertaken with the help of NGOs, village leaders, youths, cooperatives, school teachers and other stakeholders

w) Milk collection centers should educate the farmers at the time of milk collection and ensure healthy milk collection without mixing of the milk of infected animals. The consumption and transport of raw milk of infected animal should be discouraged

x) Group grazing area and animal groups should be monitored and vaccinated and the infected animals should be immediately separated and kept under isolation under veterinary care. Special care should be taken to monitor the movement of animals from affected districts and states and round the clock check post with disinfection system should be activated and documented

y) Veterinarians and para-veterinarians working in the infected zone should not be deputed for other works so that their services are available round the clock and they can contribute effectively in disease control programme.

z) Proper TA/DA and incentives should be given and announced for veterinarians, para-veterinarians and other staff to motivate them in disease control operations.

****

Advisory - Lumpy Skin Disease (LSD)

Lumpy skin disease (LSD) is an infectious viral disease of cattle and buffaloes caused by the *Capripox* virus of family *Poxviridae*. It is transmitted by arthropod vectors such as mosquitoes, biting flies and ticks. The disease is characterised by mild fever for 2-3 days followed by development of stiff, round cutaneous nodules (2-5 cm in diameter) on the skin all over the body. These nodules are circumscribed, firm, round, raised and involves the skin, sub-cutaneous tissue and sometimes muscles. Symptoms may include lesions in mouth, pharynx and respiratory tract, emaciation, enlarged lymph nodes, oedema of limbs, reduction in milk production, abortion, infertility and sometimes, death.

Although infected animals often recover within a period of 2-3 weeks, there is reduction in milk yield in lactating cattle for several weeks. The morbidity rate is around 10-20% and mortality rate is around 1-5%.

Clinical Surveillance

Clinical surveillance of susceptible cattle population for nodular skin lesions should be carried out along with recording of morbidity and mortality data in LSD-suspected areas. Monthly clinical surveillance data should be communicated to DAHD in the format annexed.

Referral of Samples from clinically affected animals

Representative samples (EDTA blood and skin biopsies/scabs) from animals in LSD suspected outbreaks should be referred to ICAR-NIHSAD, Bhopal for laboratory testing.

Prevention and Control:

a) Immediate isolation of sick/ infected animals from the healthy animals

b) Any animal suspected of febrile nodular skin disease should not be introduced into the unaffected holding or farm

c) In affected villages and animal holdings, the affected animal should be kept separate from unaffected animals by avoiding common grazing and thereby direct contact

d) Efforts should be made to reduce the vector population in affected areas. Unaffected animal should be applied with insect (ticks, flies, mosquitoes, fleas, midges) repellent to minimize mechanical transmission of LSD

e) Ensure strict control of animal movement from affected areas to free areas and to local animal markets

f) Trade of live cattle, participation in fairs, shows should be banned immediately upon confirmation of the disease in the affected areas

g) All biosecurity measures and strict sanitary measures for disposal of personal protective equipment (PPE) etc. used during sampling from affected animals should be followed

h) Cattle markets located within 10 km radius of the epicentre of infection should be closed

i) Thorough cleaning and disinfection of affected personnel, premises and contaminated environment including vehicles plying through the affected animal holdings should be carried out with appropriate chemicals/disinfectants [Ether (20%), chloroform, formalin (1%), phenol (2%/15 minutes), sodium hypochlorite (2–3%), iodine compounds (1:33 dilution), quaternary ammonium compounds (0.5%)].

Bovine Semen:

1. Semen should not be collected and processed for frozen bovine semen production and distribution from the animals showing clinical sign of LSD

2. The blood and semen from affected and clinically recovered animals shall be subjected to agent detection by PCR with negative results before use for AI/natural service

Awareness campaign

Awareness campaign regarding the clinical signs and production losses due to LSD shall be conducted. Reporting to the veterinary authority should be done immediately when suspected cases are noticed.

Treatment

a. Sick animals are to be kept in isolation
b. Symptomatic treatment of affected animals may be carried out in consultation with veterinarian
c. Administration of antibiotics for 5-7 days to check secondary infection may be considered on case to case basis to check secondary bacterial infection.
d. Administration of anti-inflammatory and anti-histamine preparation may also be considered.
e. In case of pyrexia, paracetamol can be given
f. Application of antiseptic ointment with fly-repellent property over the eroded skin is recommended
g. Parenteral / oral multivitamins is advised.
h. Feeding of liquid food, soft feed and fodder and succulent pasture is recommended for the infected animals.

Disposal of carcass of LSD-affected animals

In cases of mortality, animal carcass should be disposed of by deep burial.

Annexure

Format for Reporting on Monthly clinical surveillance data on LSD

Month:

Name of the State:

Sl. No	No. of Samples screened at State level	No. of Samples submitted to NIHSAD, Bhopal	No. of animals found positive	Name of the District

Information for Immediate Notification of Lumpy Skin Disease
(Separate sheet for each epicenter)

Name of Epicenter -	Details to be given
1) Date of start of the event / outbreak /symptoms noticed	
2) Date of sample submission	
3) Date of confirmation of the event by NIHSAD or RDDL	
4) Name of the state, district, block, village i.e. details of the epicentre of the outbreak	
5) Type of establishment	
6) Latitude and longitude of the epicentre	
7) Animal species affected and number of each species affected.	Cattle Buffalo Others specify
8) Number of susceptible animals	Cattle Buffalo Others specify
9) Number of cases	Cattle Buffalo Others specify
10) Number of animals died (mortality cases)	Cattle Buffalo Others specify
11) Number of animals killed and disposed of	
12) Number of animals slaughtered (meat used for human consumption)	
13) Epidemiological findings	
14) Control measures applied	
15) Whether treatment given to animals, if so specify	
16) If Vaccination done name of the vaccine and animals vaccinated	
17) Date of end of the event or outbreak if all animals have recovered	

ANNEXURE-2

INDICATIVE MANAGEMENT AND TREATMENT OF LUMPY SKIN DISEASES (LSD) IN ANIMALS

A. The treatment guidelines for Lumpy Skin Disease (LSD) are as under:

1. LSD affected animals should be separated from healthy animals and shall be kept in strict isolation and monitoring under veterinary supervision.
2. Symptomatic treatment including the treatment of secondary infection (if any) shall be carried out during isolation of animal.
3. Based on the symptoms and clinical signs following is recommended:
   a. Use of anti-inflammatory drugs (preferably non-steroids) to treat the inflammatory condition
   b. Use of anti-histamine preparations/drugs to treat allergic conditions
   c. Use of Paracetamol in case high fever is observed
   d. In case of secondary bacterial infections like respiratory infections, skin infections antibiotics may also be used judiciously. The dose and duration of the antibiotics should be strictly adhered including advice to the owner to follow the withdrawal period for milk
   e. Parental/oral multivitamins may also be given
4. Feeding of liquid feed/food, soft feed and fodder and succulent pasture is recommended

Advise: Except in unavoidable circumstances, the treatment of infected animal should be done through oral medication and topical application to avoid spreading of disease through treatment procedures and contamination of treatment accessories and personnel during treatment.

B. USE OF HERBAL SOLUTIONS

The under mentioned Herbal Animal Health Solutions also offers a supportive role in management of Lumpy Skin

1. Wound Healing and Fly Repellents

Available herbal spray, cream and gel promotes rapid wound repair in the skin nodules due to rapid collagenisation, have strong fly repellent action that prevent flies from sitting on the wounds and prevents maggot in wounds.

Preparations:

Like Topicure Advance Spray Natural Remedies Skin Healer and Fly Repellent, Scavon skin spray, charmil skin spray, Himax cream, Skin heal and Tee burb Indian Herbs Oral skin healer may be used.

2. Appetite and Digestive Tonics

Appetite stimulants restore the appetite, rumen functions and also prevent loss of body condition among animals

Preparations:

Like Himalayan Battista 100gm Indian Herbs, Appetonic 50gm HDC and Ruchamax 15gm/300g may be used

3. Immunomodulators and antioxidants

Improve immunity and potent and improve overall health.

Preparations:

Like Restobal 500ml/1Lit Ayurvet Immunity enhancer and Geri forte 500ml/1Lit HDC may be used.

4. **Instant Energy Booster**

Sustain energy level and keeps animal active

Preparation:

Gluca-Boost Liquid Natural Remedies Energy Booster may be used

C. **Homeopathy Preparations**

The under mentioned Homeopathy preparations also offers a supportive role in management of Lumpy Skin Disease and may be used:

Scrophularia nodosa 30

Antim tart 30

Ars alb 30

Calendula MT

D. **Ethnoveterinary formulations** (also refer www.nddb.coop)

The under mentioned formulations are also recommended:

1. **Oral preparation** (for one dose): Betel leaves-10 nos. + Black pepper-10 gm + Salt-10 gm
   Blend this to form a paste and mix with jaggery
   Dose: Day 1- One dose every three hours
   Day 2 and onwards for 2 weeks- Three doses daily

2. **Oral preparation** (for two doses): Garlic-2 pearls + Corlander-10 gm + Cumin-10 gm + Dry cinnamon leaves-10 gm + -10 nos. + Black pepper-10 gm + Betel leaves-5 nos + Shallots-2 bulbs + Turmeric- 10gm + chirata leaf powder- 30 gm + Sweet basil 1 + Neem leaves - 1 handful + Aegle marmalos 1 handful + Jaggery-100 gm
   Blend this to form a paste and mix with jaggery
   Dose: Day 1- One dose every three hours
   Day 2 and onwards till recovery- Two doses daily

3. **External application** (if there are wound): Acalypha indica leaves-1 handful + Garlic-2 pearls + Neem leaves-1handful + Coconut or Sesame oil-500 ml + Turmeric powder- 20 gm + Mehndi leaves- 1 handful + Tulsi leaves- 1 handful
   Blend all ingredients and mix with 500 ml coconut or sesame oil andboil and bring to cool
   Application: clean the wound and apply directly

For Maggots: Apply Anona leaf paste or camphorated coconut oil for the first day only if maggots are present

****

ANNEXURE-3

लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु सरल भाषा में दिशा–निर्देश

लक्षण–

- लम्पी स्किन डिजीज एक विषाणुजनित रोग है।
- रोग में पशु को तेज बुखार, आंख व नाक से पानी गिरना, पैरों में सूजन, पूरे शरीर में कठोर एवं चपटी गांठ आदि प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं। कभी–कभी भी सम्पूर्ण शरीर की चमड़ी विशेष रूप से सिर, गर्दन, थूथन, थनों, गुदा व अंडकोष या योनिमुख के बीच के भाग पर गांठो के उभार बन जाते है। कभी भी पूरा शरीर गांठो से ढक जाता है।
- गांठे (नोडयूल) नेक्रोटिक और अल्सरेटिव भी हो सकते है, जिससे मक्खियों द्वारा अन्य स्वस्थ पशुओं में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- गम्भीर रूप से प्रभावित जानवरों में नैक्रोटिव घाव, श्वसन और जठरांत्र में भी विकसित हो जाते है। श्वसन पथ में घाव होने से सांस लेने में कठिनाई होती है, पशुओं का वजन घट जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है एवं अत्याधिक कमजोरी से पशु की मृत्यु भी हो सकती है।
- गाभिन पशुओं में गर्भपात हो सकता है, दुधारू गायों में दुग्ध उत्पादन काफी कम हो जाता है।

रोग का प्रसार–

- लम्पी स्किन डिजीज का विषाणु बीमार पशु के लार नासिका स्राव, दूध एवं वीर्य में भारी मात्रा में पाये जाते हैं।
- बीमार पशु के सीधे सम्पर्क में आने से या रोगग्रस्त पशु के स्राव से संदूषित चारा पानी खाने से स्वस्थ पशु बीमार हो सकता है।
- रोगग्रस्त पशु का दूध पीने से बछड़ो में यह रोग फैल सकता है।
- मुख्यतः मच्छरों, मक्खियों, किलनी आदि जैसे खून चूसने वाले कीड़ों के काटने से यह रोग बहुत तेजी से फैलता है।

उपचार एवं निवारण–

- विषाणुजनित रोग होने के कारण इसका कोई उचित उपचार नही है।
- इस रोग का संचरण मुख्य रूप से गरम व नम मौसम में होता है।
- टीकाकरण एवं इन्जेक्शन के दौरान दूषित सुईयों के प्रयोग से यह रोग अन्य पशुओं में फैल सकता है।
- लक्षण दिखाई देने पर तत्काल निकट के पशु चिकित्साधिकारी को सूचित करें।
- बुखार की स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह से ज्वर नाशक यथा पैरासीटामॉल एवं एन्टीवायोटिक आदि औषधियों का प्रयोग करें।
- सूजन एवं चर्म रोग की स्थिति में उचित दवाईयों का लेप लगाये। घावों को मक्खियों से बचाने हेतु नीम की पत्ती, मेंहदी पत्ती, लहसुन, हल्दी पावडर को नारियल तेल में लेप बनाकर प्रयोग किया जा सकता है।
- बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण ही सबसे अच्छा तरीका है। वर्तमान में लम्पी स्किन डिजीज वैक्सीन उपलब्ध नही है परन्तु इंडियन इम्युनोलॉजिकल तथा हेस्टर बायोसाइंस द्वारा निर्मित गॉट पॉक्स टीका पशुओं को बीमारी से बचाने में अत्यंत कारगर है। इस टीके की 3–5 मि0ली0 मात्रा चमड़े में दिए जाने से एक वर्ष तक प्रभावी प्रतिरक्षण रहता है।

<u>रोग प्रकोप के समय क्या करें–</u>

- सर्वप्रथम निकटतम पशु चिकित्साधिकारी को सूचित करें।
- प्रभावित पशु को स्वस्थ पशु से अलग करें।
- प्रभावित पशुओं का आवागमन प्रतिबन्धित करें।
- पशुओं को सदैव साफ पानी पिलायें।
- पशु के दूध को उबाल कर पियें।
- पशुओं को मच्छरों, मक्खियों, किलनी आदि से बचाने हेतु पशुओं के शरीर पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें।
- पशुबाड़े और पशुखलिहान की फिनायल/सोडियम हाइपोक्लोराइट इत्यादि का छिड़काव कर उचित कीटाणु शोधन करें।
- बीमारी पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए।

- पहले स्वस्थ पशुओं को चारा व पानी दें, फिर बीमार पशुओं को दें। बीमार पशुओं को प्रबन्धन करने के पश्चात् हाथ साबुन से धोयें।

रोग प्रकोप के समय क्या ना करें–

- सामूहिक चराई के लिए अपने पशुओं को ना भेजे।
- पशु मेला एवं प्रदर्शनी में अपने पशुओं का ना भेजे।
- बीमार एवं स्वस्थ पशुओं को एकसाथ चारा–पानी न करायें।
- प्रभावित क्षेत्रों से पशु खरीद कर न लायें।
- यदि किसी पशु की मृत्यु होती है, तो शव को खुले में न फेकें एवं वैज्ञानिक विधि से दफनायें।
- रोगी पशु के दूध को बछड़े को न पिलायें।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशः–

- रोग की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करें।
- रोग ग्रस्त पशु को स्वस्थ्य पशु से अलग करायें।
- जिला प्रशासन का सहयोग लेते हुए प्रभावित स्थान से पशु का आवागमन प्रतिबन्धित करायें एवं प्रभावित क्षेत्रों में पशु मेलों का आयोजन पर रोक लगायें।
- रोग ग्रस्त पशुओं का सैम्पुल एकत्र कर परीक्षण हेतु नेशनल हाई सिक्योरिटी लैब, भोपाल प्रेषित करें।
- सैम्पुलिंग हेतु पशु का होल ब्लड (ई0डी0टी0ए0 वायल में), सीरम, स्किन स्क्रेपिंग एवं नेसल स्वाब आदि लिया जाना चाहिए।
- सैम्पुल 2 से 8 डिग्री तापमान पर संरक्षित कर परीक्षण हेतु लैब भेजना सुनिश्चित करें।
- प्रभावित स्थान से 05 किमी0 के दायरे में गोट पाक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन करायें।
- रोग ग्रस्त पशुओं का टीकाकरण कदापि न किया जाय।
- टीकाकरण कार्य हेतु प्रत्येक पशु में नई सुई का प्रयोग किया जाय।
- पशु बाड़ों में समय–समय पर फिनायल (2 प्रतिशत)/सोडियम हाइपोक्लोराइट (2–3 प्रतिशत)/आयोडीन कम्पाउण्ड (1: 33 डाइल्यूशन) आदि का छिड़काव करायें।

- पशुओं को मच्छरों, मक्खियों, किलनी आदि से बचाने हेतु पशुओं के शरीर पर इन्जेक्शन डोरामेक्टिन, आइवरमेक्टिन, इप्रनोमेक्टिन, डेल्टामेथ्रिन आदि दवाओं का प्रयोग करें।
- रोग ग्रस्त पशुओं में एण्टी इन्फ्लेमेटरी, एण्टी हिस्टामिनिक, पैरासिटामाल, एण्टीबायोटिक आदि औषधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करें।
- पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से उनको कृमि नाशक औषधियों का प्रयोग करें।
- पशु पालको में रोग से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलायें, यथा वाल पेण्टिग, पैम्फलेट, मुनादी आदि द्वारा।
- मृत पशुओं का शव विच्छेदन किसी भी दशा में न करें। वैज्ञानिक तरीके से गडढा खोदकर शव का निस्तारण करायें।

(डा0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक,
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ANNEXURE-4

Lumpy Skin Disease Weekly Report 20/08/2022

Sl No	जनपद का नाम	जनपद में LSD से प्रभावित ग्रामों की कुल संख्या साप्ताहिक	जनपद में LSD से प्रभावित ग्रामों की कुल संख्या क्रमिक	जनपद में LSD से प्रभावित पशुओं की कुल संख्या साप्ताहिक	जनपद में LSD से प्रभावित पशुओं की कुल संख्या क्रमिक	जनपद में LSD से मृत पशुओं की कुल संख्या साप्ताहिक	जनपद में LSD से मृत पशुओं की कुल संख्या क्रमिक	कुल प्रेषित किये गये सैम्पिल की संख्या क्रमिक	सैम्पिल प्रेषित करने का स्थान एवं दिनांक	यदि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तो परिणाम	गोशालाओं में LSD से प्रभावित पशुओं की संख्या	यदि हाँ तो गोशाला का नाम
1	Aligarh	27	27	247	247	0	0	0	0		0	
2	Baghpat	7	7	12	12	0	0	12		-	0	-
3	Bulandshahr	19	37	115	186	0	02	12	IVRI Bareilly 20-08-22	Awaited	0	
4	Etah	01	01	01	01	00	00	00	Not sent	Not applicable	00	0
5	Ghaziabad	3	03	05	05	00	00	00	00	NA	00	0
6	Hapur	02	02	57	57	0	0	0	0	0	0	0
7	Mathura	3	3	65	65	4	4	11 सैम्पल ऐकत्र किये गये है।	सोमवार को भेजे जाने है	NA	0	0
8	Meerut	3	7	15	19	0	0	3	16/08/2022 IVRI cadrad izzat nagar Bareilly	Awaited	5	Mandi samiti gaushala sardhana meerut
9	Moradabad	01	01	06	06	0	0	06	NISHAD Bhopal date 18.08.22	Awaited	0	0
10	Muzaffarnagar	78	78	2039	2039	6	6	63	NISHAD, Bhopal/ dt-17-08-2022, SBBUAT, Modipuram/ dt-17-08-2022, IVRI Bareilly dt-20-08-2022	Awaited	0	0
11	Saharanpur	160	166	1720	1856	5	9	75	NIHSAD- 18/08/2022 , CADRAD,IVRI- 19/08/2022	Awaited	20	Kanha upwan gaushala, nagar nigam, sawalpur nawada, saharanpur
12	Shajhahanpur	2 PARWAPATTI SANAYAK, LODHEPUR	02	02	02	0	0	0	0	0	0	0
13	Shamli	68	68	176	275	4	4	00	0	0	00	0
	Total	**368**	**393**	**4446**	**4756**	**19**	**23**	**176**				

लम्पी स्किन डिजीज

पशुपालकों से अपील

रोग के लक्षण –

- लम्पी स्किन डिजीज एक विषाणुजनित रोग है।
- रोग में पशु को तेज बुखार, आंख व नाक से पानी गिरना, पैरों में सूजन, पूरे शरीर में कठोर एवं चपटी गांठ आदि प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं। कभी–कभी भी सम्पूर्ण शरीर की चमड़ी विशेष रूप से सिर, गर्दन, थूथन, थनों, गुदा व अंडकोष या योनिमुख के बीच के भाग पर गांठो के उभार बन जाते है। कभी भी पूरा शरीर गांठो से ढक जाता है।
- गांठे (नोडयूल) नेक्रोटिक और अल्सरेटिव भी हो सकते है, जिससे मक्खियों द्वारा अन्य स्वस्थ पशुओं में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- गम्भीर रूप से प्रभावित जानवरों में नैक्रोटिव घाव, श्वसन और जठरांत्र में भी विकसित हो जाते है। श्वसन पथ में घाव होने से सांस लेने में कठिनाई होती है, पशुओं का वजन घट जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है एवं अत्याधिक कमजोरी से पशु की मृत्यु भी हो सकती है।
- गाभिन पशुओं में गर्भपात हो सकता है, दुधारू गायों में दुग्ध उत्पादन काफी कम हो जाता है।

रोग प्रकोप के समय क्या करें–

- सर्वप्रथम निकटतम पशु चिकित्साधिकारी को सूचित करें।
- प्रभावित पशु को स्वस्थ पशु से अलग करें।
- प्रभावित पशुओं का आवागमन प्रतिबन्धित करें।
- पशुओं को सदैव साफ पानी पिलायें।
- पशु के दूध को उबाल कर पियें।
- पशुओं को मच्छरों, मक्खियों, किलनी आदि से बचाने हेतु पशुओं के शरीर पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें।
- पशुबाड़े और पशुखलिहान की फिनायल/सोडियम हाइपोक्लोराइट इत्यादि का छिड़काव कर उचित कीटाणु शोधन करें।
- बीमारी पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए।
- पहले स्वस्थ पशुओं को चारा व पानी दें, फिर बीमार पशुओं को दें। बीमार पशुओं को प्रबन्धन करने के पश्चात् हाथ साबुन से धोयें।

रोग प्रकोप के समय क्या ना करें–

- सामूहिक चराई के लिए अपने पशुओं को ना भेजे।
- पशु मेला एवं प्रदर्शनी में अपने पशुओं का ना भेजे।
- बीमार एवं स्वस्थ पशुओं को एकसाथ चारा–पानी न करायें।
- प्रभावित क्षेत्रों से पशु खरीद कर न लायें।
- यदि किसी पशु की मृत्यु होती है, तो शव को खुले में न फेकें एवं वैज्ञानिक विधि से दफनायें।
- रोगी पशु के दूध को बछड़े को न पिलायें।

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

टोल फ्री नं0–1800 180 5141, 0522–2740992